(9)

संख्या–1828 / 15–11–2011

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

1 शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

2. सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 07 सितम्बर, 2011

विषयः अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–2838 / टी0ई0टी0 / 2011–12 दिनांक 18.5.2011 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के क्रम में अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित कराये जाने की अनिवार्यता है। इस विषय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मानक भी निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित मानकों के अनुरूप अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) करायी जानी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) का संचालन/ आयोजन उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कराया जायेगा। इस वर्ष यह परीक्षा माह नवम्बर के प्रथम पक्ष में कराये जाने की अपरिहार्यता है तथा इसका परिणाम भी माह नवम्बर में ही घोषित किया जाना है। इन परिस्थितियों में एक समय–सारिणी भी इस आदेश के साथ संलग्न की जा रही है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा का आयोजन समयबद्ध ढंग से कराया जाना है। इसके लिये उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद सभी आवश्यक कार्यवाही यथासमय पूर्ण करायेगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त इस आदेश के साथ संलग्न किये जा रहे हैं, जिसके अनुरूप यह परीक्षा तथा अन्य व्यवस्थायें समयान्तर्गत सपन्न करा ली जाय। कृत कार्यवाही तथा प्रगति से शासन को समय–समय पर अवगत कराया जाय।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

7/9/11

(अनिल संत)
सचिव।

संख्या– 1828(1)/15-11-2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें:–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।

–2–

3. शिक्षा निदेशक (बेसिक)/निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
7 समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

7/9/11

(अनिल संत)
सचिव।

"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET) मार्गदर्शी सिद्वान्त

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के 1 अप्रैल, 2010 से देश में प्रभावी हो जाने के कारण प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता समयबद्व ढंग से पूरी की जानी अपेक्षित है। यद्यपि चयन किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है, फिर भी शिक्षकों के चयन के समय उनकी योग्यता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षकों का चयन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि केवल उन पात्र अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाए जिनमें शिक्षक बनने के लिए सहज अभिरूचि हो तथा वह प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण चुनौतियों का प्रबन्धन करने में सक्षम भी हों।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23.8.2010 द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गयी है। उक्त के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा आयोजित **"शिक्षक पात्रता परीक्षा" (TET)** उत्त्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपने राज्य की परिसीमा में संचालित सभी प्रकार के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालय में (कक्षा 1–8 तक) गुणवत्तापरक शिक्षण सुनिश्चित करने हेतु संचालित यह परीक्षा **"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्त्तर प्रदेश" (UP-TET)** के नाम से जानी जाएगी।

1. **"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET) हेतु अर्हताः–**

   (i) वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा (B.A./B.Sc./B.Com) उत्तीर्ण की हो परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
   पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंको में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

   तथा

   (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से;

   (क) प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी)

   अथवा

(ख) नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) (द्विवर्षीय)

अथवा

(iii) उ0प्र0 में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट / विशेष बी0टी0सी0 प्रशिक्षण

अथवा

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी0एल0एड0)

अथवा

(IV) एक वर्षीय बी0एड0 (B.Ed)

अथवा

(v) भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त बी0एड0 (विशेष शिक्षा)

2. **परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रमः—**

''शिक्षक पात्रता परीक्षा—उत्तर प्रदेश'' (UP-TET) के दो स्तर होगें:—

- प्राथमिक स्तर। (कक्षा 1—5)
- उच्च प्राथमिक स्तर। (कक्षा 6—8)

अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा में या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। दोनों स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन दो पालियों में आयोजित की जायेंगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है, तो इसके लिए उसे पृथक—पृथक दो आवेदन पत्र प्रेषित करने होंगे।

(i) परीक्षा की अवधि डेढ़ घण्टा अर्थात् कुल 90 मिनट होगी।

(ii) कुल 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।

(iii) प्रत्येक प्रश्न का पूर्णांक 01 होगा।

(iv) नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

(v) प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमशः हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगें।

2.1 **प्राथमिक स्तर (कक्षा 1—5) का पाठ्यक्रमः—** यह स्तर उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 1—5 तक की कक्षाओं में शिक्षण करने हेतु पात्रता प्राप्त करना चाहते है।

	प्रश्न पत्र की मौलिक संरचना	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
(i)	बाल विकास एवं अभिज्ञान	30	30
(ii)	भाषा 1 (हिन्दी)	30	30
(iii)	भाषा 2 (अंग्रेजी अथवा उर्दू)	30	30
(iv)	गणित	30	30
(v)	पर्यावरणीय शिक्षा	30	30

पाठ्यक्रम संरचना

- 6 से 11 वर्ष के बच्चों के विकास एवं बाल अभिज्ञान, बाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- भाषा 1 में हिन्दी भाषा से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कि कक्षा–1 से 5 तक के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होगें तथा कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं।
- भाषा 2 में अंग्रेजी अथवा उर्दू में से एक भाषा, जो अभ्यर्थी द्वारा चयनित की जायेगी, से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कि कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं।
- गणित एवं पर्यावरण से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेगें, जो कि कक्षा–1 से 5 तक के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होगें तथा कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं।
- उक्त परीक्षा के प्रश्नपत्रों में प्रश्न इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर के होंगे।

2.2 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8) पाठ्यक्रमः– यह स्तर उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने हेतु पात्रता प्राप्त करना चाहते है।

उच्च प्राथमिक स्तर हेतु (कक्षा 6 से 8)

प्रश्नपत्र के 4 भाग होंगे, जिसमें प्रथम 3 भाग सभी के लिये अनिवार्य होंगे। चौथे भाग के प्रश्न विषय विशेष से संबंधित होंगे। गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को भाग 'क' के प्रश्न करने होंगे तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को भाग 'ख' के प्रश्न करने होंगे।

	प्रश्न पत्र की संरचना	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
(i)	बाल विकास एवं अभिज्ञान	30	30
(ii)	भाषा 1 (हिन्दी)	30	30
(iii)	भाषा 2 (अंग्रेजी अथवा उर्दू)	30	30
(iv)	(क) गणित, तथा विज्ञान विषय	60	60
	अथवा		
	(ख) सामाजिक अध्ययन एवं अन्य समस्त विषय	60	60

पाठ्यक्रम संरचना

- 11 से 14 वर्ष के बच्चों के विकास एवं बाल अभिज्ञान, बाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- भाषा 1 में हिन्दी भाषा से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होगें तथा कक्षा–6 से 8 तक के बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं।
- भाषा 2 में अंग्रेजी अथवा उर्दू भाषा, जो अभ्यर्थी द्वारा चयनित की जायेगी, से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होगें तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं।
- गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कि कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होगें तथा कक्षा–6 से 8 तक के बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं।
- उक्त प्रश्नपत्रो में प्रश्न इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर के होंगे।

3. **परीक्षा का आयोजन– "शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET)** सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जायेगी परन्तु राज्य सरकार के निर्णयानुसार एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा हेतु सामान्यतः मई माह में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षाफल की घोषणा जुलाई–अगस्त माह में की जायेगी।

4. **परीक्षा आयोजित कराने हेतु संस्था का निर्धारण–** शिक्षक पात्रता परीक्षा उ0प्र0 (UP-TET) का आयोजन करने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद उत्तरदायी होगा। परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इस मार्ग दर्शी सिद्धान्त में वर्णित प्रक्रियानुसार किया जायगा।

5. अन्य व्यवस्थायें :–

(I) परीक्षा हेतु एक ऑफीशियल वेबसाइट का निर्माण परीक्षा संस्था की देख–रेख तथा निर्देशन में होगा।

(II) परीक्षा हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग खाते का संचालन किया जायेगा।

(III) परीक्षा संस्था द्वारा केन्द्रीय रूप से विज्ञापन प्रकाशन, आवेदन पत्र तथा निर्देश पुस्तिका एक साथ मुद्रित कराकर बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेंगी। बैंक/पोस्ट आफिस से आवेदन पत्र एवं निर्देश पुस्तिका निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त की जा सकेगी। विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र एवं निर्देश पुस्तिका परीक्षा संस्था द्वारा निर्धारित कार्यालय/संस्थान से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। उक्त निर्देश पुस्तिका पर *'निःशुल्क' (केवल विकलांगों के लिये)* अंकित होगा।

(IV) सामान्यतः सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र की पुस्तिका अलग–अलग रंग में मुद्रित की जायेगी।

(V) अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु परीक्षा संस्था द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से एकीकृत रूप से बहुप्रसारित कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विज्ञापन उर्दू माध्यम के एक दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जायेगा।

(VI) अभ्यर्थियों से पूरित आवेदन पत्र प्राप्त करने, उनका कम्प्यूटरीकरण (Computerisation) कराने, परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

(VII) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देशन में जनपद मुख्यालय द्वारा केन्द्र का निर्धारण कर परीक्षा शुचितापूर्वक सम्पन्न करायी जायेगी।

6. परीक्षा शुल्कः–

"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" **(UP-TET)** हेतु सामान्य/पिछड़ा वर्ग की जाति के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रू0 500/= प्रति अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रू0 250/= प्रति अभ्यर्थी होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क इस परीक्षा हेतु नहीं लिया जायेगा। परीक्षा शुल्क की धनराशि आवेदन पत्र के मूल्य में सम्मिलित होगी। आवेदन पत्र उपर्युक्त बिन्दु 5 (iii) के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए प्राप्त किया जा सकता है।

7. परीक्षा अवधिः–

परीक्षा की कुल अवधि डेढ़ घण्टा अर्थात् कुल 90 मिनट होगी।

8. "शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" **(UP-TET)** हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांकः–

(i) **"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET)** में सफल अभ्यर्थी वो होंगे, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक 55 प्रतिशत होगा।

"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी का नियुक्ति/चयन में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति/चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं में से मात्र एक अनिवार्य अर्हता होगी। **शिक्षकों की नियुक्ति/चयन राज्य सरकार की संगत अध्यापक सेवा नियमावलियों तथा समय– समय पर जारी नियम–निर्देशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।**

9. "शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" **(UP-TET)** हेतु अधिकार क्षेत्र **(Applicability):-**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित "शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET) में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगेः–

9.1 प्राथमिक स्तरः–

(i) ऐसे सभी विद्यालय, जो राज्य सरकार के अधीन हों।

(ii) जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर मान्यता/राम्बद्वता प्रदान की गयी हो।

(iii) जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हों।

(iv) ऐसे समस्त विद्यालय, जो किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्व हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

शिक्षकों की नियुक्ति/चयन राज्य सरकार की संगत अध्यापक सेवा नियमावलियों तथा समय–समय पर जारी नियम–निर्देशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

9.2 उच्च प्राथमिक स्तरः–

(i) ऐसे सभी विद्यालय, जो राज्य सरकार के अधीन संचालित हों।

(ii) जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर मान्यता/सम्बद्वता प्रदान की गयी हो।

(iii) राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हों।

(iv) ऐसे समस्त विद्यालय, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्व हों।

शिक्षकों की नियुक्ति/चयन राज्य सरकार की संगत अध्यापक सेवा नियमावलियों तथा समय–समय पर जारी नियम–निर्देशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10. प्रमाण पत्र की वैधताः–

(i) परीक्षा संस्था द्वारा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थी को निर्गत किया जाएगा।

(ii) परीक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो भी स्कैन कर मुद्रित कराया जायेगा।

(iii) यह पात्रता प्रमाण पत्र 05 वर्षो के लिए वैध माना जाएगा।

10.1 प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिः–

प्रमाण पत्र के न प्राप्त होने अथवा खो जाने की स्थिति में द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु रू0 300/– का शुल्क देय होगा तथा इस हेतु अभ्यर्थी को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न होंगेः–

(i) हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो कॉपी (जन्मतिथि के लिए),

(ii) स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष के अंकपत्र की फोटो कॉपी,

(iii) जाति प्रमाणपत्र (जैसा लागू हो),

(iv) विकलांगता प्रमाणपत्र (जैसा लागू हों),

(v) F.I.R. की सत्यापित प्रति

इन सभी प्रमाण पत्रों के किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने पर ही द्वितीय प्रति निर्गत करने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रत्यावेदन जमा करने के 20 दिवस के अन्दर प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत की जाएगी। इसे सामान्यतः डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी की पहचान की आधिकारिक पुष्टि होने की दशा में अभ्यर्थी इसे व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त कर सकेंगें।

11. **प्रवेश पत्र का प्रेषणः–**

परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जायेंगे। इसके साथ ही परीक्षा से 15 दिन पूर्व सभी प्रवेश पत्र परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाइट (website) पर अपलोड कर दिए जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं।

12. **परीक्षा का आयोजनः–**

"शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश" (UP-TET) मण्डल मुख्यालय के जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं देखरेख में मण्डलीय मुख्यालयों पर आयोजित कराई जायेगी। जनपद स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी। इस हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगाः--

(क)	जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
(ख)	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	– सदस्य सचिव
(ग)	जिला विद्यालय निरीक्षक (मण्डलीय मुख्यालय)	– सदस्य
(घ)	प्राचार्य डायट (मण्डलीय मुख्यालय)	– सदस्य
(च)	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	– सदस्य

परीक्षा केन्द्र ऐसे इंटर कालेज/डिग्री कालेज को बनाया जायेगा जो अच्छी ख्याति के हों और जिनमें पर्याप्त संस्थागत सुविधायें यथा बडे हवादार कक्षा कक्ष, पर्याप्त फर्नीचर, पंखे, पीने के पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध हों। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा संचालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। संबंधित परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य/प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा।

13. परीक्षा के पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकों तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों की बैठकः—

जिलाधिकारी परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी केन्द्र व्यवस्थापकों की संयुक्त बैठक करेंगे जिनमें परीक्षा केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था तथा वहां उपलब्ध संस्थागत सुविधाओं तथा परीक्षा में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की रणनीति तैयार की जायेगी।

14. प्रश्न पत्रों का प्रेषण तथा उनका रख–रखावः—

सभी मण्डलीय मुख्यालयों पर परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व आवश्यक प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्राप्त करा दी जायेंगी, जिन्हें कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जायेगा तथा प्रश्नपत्रों को परीक्षा वाले दिन डबल लॉक से प्राप्त कर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर समय से पूर्व सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक का होगा। परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट दो घंटे पूर्व केन्द्र व्यवस्थापक को अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

15. परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषणः—

परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरान्त, परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं को भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक का होगा। सभी परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त सील्ड बंडलों को जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा सुरक्षित रूप से "**परीक्षा संस्था**" द्वारा निर्देशित स्थान पर प्रेषित किये

जायेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित पहुँचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी।

16. **परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्था हेतु धनराशि की** व्यवस्था:–

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु तथा प्रश्नपत्र के रख–रखाव, सचलदल तथा पर्यवेक्षण आदि हेतु रू0 20,000.00 की आकस्मिक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस धनराशि में सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिए रू0 2000.00 का मानदेय सम्मिलित है । इस धनराशि से परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों को भी मानदेय दिया जायेगा।

16.1 **परीक्षा केन्द्र हेतु व्ययादि की व्यवस्था:–** परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार आकस्मिक व्यय हेतु धनराशि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि में परीक्षा कार्यों से जुड़े कर्मियों का मानदेय सम्मिलित नही है।

(i)	500 अभ्यर्थी	रू0 5000 /
(ii)	500–700 अभ्यर्थी	रू0 7000 /
(iii)	700–1000 अभ्यर्थी	रू0 10,000 /
(iv)	1000 से अधिक अभ्यर्थी	रू0 15,000 /

उपरोक्त आकस्मिक धनराशि से परीक्षा सम्बन्धी समस्त व्यय हेतु भुगतान नियमानुसार मितव्ययिता के साथ किया जाएगा। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करायेंगे।

यदि किन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा संचालन में अतिरिक्त व्यय हो जाता है, तो सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से ऐसी सभी युक्ति संगत माँगों को संकलित करके संस्तुति सहित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को संदर्भित किया जाएगा।

16.2 **मानदेय:**–परीक्षा कार्य से जुड़े कार्मिकों हेतु मानदेय देय होगा। उक्त हेतु धनराशि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को तथा उनके द्वारा सम्बन्धित केन्द्रों को उपलब्ध करायी जायेगी।

- केन्द्र व्यवस्थापक — रू0 2000/-
- कक्ष निरीक्षक (आवश्यकतानुसार) — रू0 500/- (प्रति कक्ष निरीक्षक)
- पर्यवेक्षक (02) (जिलाधिकारी द्वारा नामित शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन का एक-एक प्रतिनिधि) — रू0 1000/-(प्रति पर्यवेक्षक)
- सचल दल (3-5 सदस्य प्रति दल) — रू0 500/- (प्रति सदस्य)

केन्द्र व्यवस्थापक से अपेक्षा है कि परीक्षा से 07 दिन पूर्व एक सामान्य आगणन के अनुसार मानदेय की धनराशि की माँग मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित कर दें। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक परीक्षा से 03 दिन पूर्व यह धनराशि केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के दिवस ही यथा सम्भव मानदेय की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

17. परीक्षा फलः-

उत्तर पुस्तिकाओं की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त "परीक्षा संस्था" द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर तथा सामाचार पत्रों के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अंदर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपना परीक्षा के प्रवेश पत्र की मूल प्रति तथा फोटो पहचान पत्र दिखाकर प्रमाण पत्र मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

18. राज्य स्तरीय समितिः-

यह परीक्षा राज्य स्तरीय संवेदनशील परीक्षा है। अतः परीक्षा की शुचिता बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु निम्नवत् स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जाता है। समिति परीक्षा से सम्बन्धित समस्त पक्षो पर विचार कर निर्णय लेगी। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0	सदस्य
शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ0प्र0	सदस्य
निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	सचिव
सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद	सदस्य
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद	सदस्य सचिव

अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) हेतु समय–सारिणी

1.	शासनादेश निर्गमन के उपरान्त विज्ञापन का प्रकाशन	03 दिन में
2.	आवेदन पत्र एवं सूचना पत्रिकाएँ बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराना	विज्ञापन प्रकाशन के 10 दिन के अन्दर
3.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर
4.	आवेदन पत्रों की कम्प्यूटर फर्म्स द्वारा प्रॉसेसिंग	10 दिन में
5.	प्रवेश पत्रों का प्रकाशन कम्प्यूटर फर्म्स द्वारा	05 दिन में
6.	परीक्षा का आयोजन	नवम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह मे
7.	परीक्षा परिणाम की घोषणा	नवम्बर माह के तृतीय सप्ताह में

(इस वर्ष का परीक्षा परिणाम नवम्बर माह में घोषित किये जाने की अपरिहार्यता होगी)

07/09/11
(सी॰पी॰ सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग –11
संख्या:–1984 / 15–11–2011–
लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2011

संशोधन / विज्ञप्ति

अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1828 / 15–11–2011, दिनांक 07–09–2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं संशोधन / विज्ञप्ति संख्या–1952 / 15–11–2011, दिनांक 17.09.2011 के द्वारा नवीन प्रतिस्थापित मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मूल अधिसूचना एवं संशोधित विज्ञप्तियों में रिट याचिका संख्या–3222(एमएस) / 2005 मो0 नसीम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.07.2010 तथा रिट याचिका संख्या–1393 / 2009 फुरकान अली व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.11.2009 के आलोक में प्रस्तर–1 "शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश" (यू0पी0 टी0ई0टी0) हेतु अर्हता निर्धारण में नवीन प्रस्तर संख्या–(VIII) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

वर्ष 1997 के पूर्व के मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधि धारक।
अथवा
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डिप्लोमा इन टीचिंग उपाधि धारक।

2– शासनादेश दिनांक 07.09.2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं संशोधन विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष नियम व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

19/9/11
(अनिल संत)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन ।
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ ।
(4) राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ ।
(5) शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 ,लखनऊ ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(10) समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 ।
(11) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(12) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
19/9/11
(अनिल संत)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग –11
संख्याः–1952 / 15–11–2011–
लखनऊः दिनांक 17 सितम्बर, 2011

संशोधन / विज्ञप्ति

अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने विषयक शासनादेश सं0–1828 / 15–11–2011, दिनांक 7–9–2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर–1 "शिक्षक पात्रता परीक्षा, उ0प्र0" (यू0पी0 टी0ई0टी0) हेतु अर्हता के उप प्रस्तर–(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हुए नवीन प्रस्तर (VII) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(1) प्रस्तर–1 में बिन्दु–1 (I) में यह प्राविधान है कि " वे सभी अभ्यर्थी जिन्होने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा (बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बीकॉम) उत्तीर्ण की हो परन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।" के स्थान पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नवीन अधिसूचना दि0–29–7–2011 के अनुसार **"स्नातक"** जोड़ दिया गया है ।

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मूल अधिसूचना के पैरा 3 के स्थान पर नवीन अधिसूचना दि0–29–7–2011 के अनुसार निम्नवत् अर्हता का प्रतिस्थापन किया जाता है :–

(VII) प्राप्त किये जाने वाला प्रशिक्षण – ऐसा व्यक्ति भी –

(क) जिसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी0एड0 अर्हता अथवा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0) उत्तीर्ण किया हो, जनवरी 2012 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्त किये जाने का पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर लें ।

(ख) वह व्यक्ति, जिसने डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा ।

(ग) आरक्षण नीति: आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / पी0एच0 आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

अनिल संत
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन ।

(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ ।
(4) राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ ।
(5) शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 ,लखनऊ ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(10) समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 ।
(11) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(12) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
अनु सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग –11
संख्याः–2029/15–11–2011–
लखनऊ दिनांक 24 सितम्बर, 2011

संशोधन/विज्ञप्ति

अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1828/15–11–2011, दिनांक 07–09–2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन हेतु निर्गत संशोधन/विज्ञप्ति संख्या–1952/15–11–2011, दिनांक 17.09.2011 एवं संशोधन/विज्ञप्ति संख्या–1984/15–11–2011, दिनांक 19.09.2011 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नवीनतम अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2011 के आलोक में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

1. न्यूनतम अर्हताएं :

(1) कक्षा I से V

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी)/एन0टी0टी0

अथवा

स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी0एड0 अर्हता अथवा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0)/ डी0एड0 (विशेष शिक्षा) /बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण किया हो जनवरी, 2012 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्त किये जाने का पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम पूरा कर ले।

आरक्षण नीति –आरक्षित श्रेणियों यथा– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांगों/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

अथवा

स्नातक तथा दिनांक 11–8–97 के पूर्व के मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारक (उर्दू शिक्षक हेतु)

अथवा

स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उपाधिधारक (उर्दू शिक्षक हेतु)

(2) कक्षा VI से VIII

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी)/एन0टी0टी0

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी0एड0

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी0एड0 जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी0एड0 (विशेष शिक्षा)

2— शासनादेश दिनांक 07.09.2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं संशोधन विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2011 एवं दिनांक 19—9—2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष नियम व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अनीता सी0 मेश्राम
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन ।
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ ।
(4) राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ ।
(5) शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 ,लखनऊ ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(10) समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 ।
(11) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(12) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अनीता सी0 मेश्राम)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग –11
संख्याः–2111/15–11–2011
लखनऊः दिनांक : 04 अक्टूबर, 2011

संशोधन/विज्ञप्ति

अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1828/15–11–2011, दिनांक 07–09–2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन हेतु निर्गत संशोधन/विज्ञप्ति संख्या–1952/15–11–2011, दिनांक 17.09.2011 एवं संशोधन/विज्ञप्ति संख्या–1984/15–11–2011, दिनांक 19.09.2011 तथा संशोधन/विज्ञप्ति संख्या–2029/15–11–2011, दिनांक 24.09.2011 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचनाओं के आलोक में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

1. **न्यूनतम अर्हतायें :–**

(1) कक्षा I से V

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी)/एन0टी0टी0 उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष/परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी।

अथवा

स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण या अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी0एड0 अर्हता अथवा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0)/डी0एड0 (विशेष शिक्षा)/बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण किया हो या अंतिम वर्ष/परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी, 01 जनवरी 2012 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्त किये जाने का पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम पूरा कर लें।

आरक्षण नीति–आरक्षित श्रेणियों यथा– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगो/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिकों आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

अथवा

स्नातक तथा दिनांक 11.08.97 के पूर्व के मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारक (उर्दू शिक्षक हेतु) स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उपाधिधारक या अंतिम वर्ष/परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी (उर्दू शिक्षक हेतु) ।

(2) कक्षा VI से VIII

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय

–2–

बी0टी0सी0 / सी0टी0(नर्सरी) / एन0टी0टी0 उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष / परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी0एड0 उत्तीर्ण या अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी ।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी0एड0 उत्तीर्ण या अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी, जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण या अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे (Appearing) अभ्यर्थी ।

2– शासनादेश दिनांक 07.09.2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर–8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

''शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश'' (यू0पी0–टी0ई0टी0) हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक–

(i) ''शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश'' (यू0पी0–टी0ई0टी0) में सफल अभ्यर्थी वह होंगे, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत होगा।

''शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश'' (यू0पी0–टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी का नियुक्ति / चयन में कोई दावा / अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति / चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं में मात्र एक अनिवार्य अर्हता होगी। शिक्षकों की नियुक्ति / चयन राज्य सरकार के संगत अध्यापक सेवा नियमावलियों तथा समय–समय पर जारी नियम–निर्देशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।''

3– शासनादेश दिनांक 07.09.2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं संशोधन विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2011 एवं दिनांक 19–9–2011 तथा दि0–24–9–2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष नियम व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अनिल संत
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन ।
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद / शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ ।
(3) राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ ।
(4) शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 ,लखनऊ ।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 / समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
(7) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(8) समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 ।
(9) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(सी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।